

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 815

उत्तर देने की तारीख : 07.12.2023

अल्पसंख्यक समूहों के वरिष्ठ नागरिकों के लिये कार्यक्रम

815. श्री जयन्त सिन्हा:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अल्पसंख्यक समूहों के वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई पहलों/कार्यक्रमों का विवरण क्या है;
- (ख) उक्त प्रयासों में देखी गई प्रभावशीलता का स्तर क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा ऐसी पहलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ुबिन इरानी)

(क) से (ग): सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कौशल विकास और उद्यमिता, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों के वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से छह (6) केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाएं लागू करता है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना (आईपीएसआरसी), वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई), वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन शामिल हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवाई) लागू की जा रही है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) को लागू कर रहा है, जो, कि देश में चिन्हित क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आधारभूत

संरचना परियोजनाएं विकसित करने के उद्देश्य के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS) है। पीएमजेवीके के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र भी शामिल है। पीएमजेवीके के तहत बनाई गई सुविधाओं जैसे अस्पताल, औषधालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक सेवा केंद्र, इंदिरा आवास योजना आदि का लाभ वरिष्ठ नागरिकों सहित पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध है। योजना की शुरुआत से अब तक स्वीकृत ऐसी परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:-

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	परियोजनाओं के नाम	स्वीकृत इकाइयां	कुल स्वीकृत लागत	स्वीकृत केंद्रीय हिस्सा
1	स्वास्थ्य परियोजनाएँ (जैसे अस्पताल, औषधालय, सीएचसी, पीएचसी आदि)	5853	350279.71	248154.32
2	सामुदायिक सेवा केंद्र	1218	130592.98	88183.37
3	इंदिरा आवास योजना (IAY)	359743	140506.82	112813.23
कुल योग		366814	621379.51	449150.92
